	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 04, शुक्रवार, *शाके* 1948- अप्रेल 24, 2026 Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, फरवरी 06, 2026

संख्या प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1451:-सां. आ. 157/2026 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 64-क के उप नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए गए साधारण या विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए नियम 64 के उपबन्ध नियम 46-क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित (नामंजूर) करने के संबंध में लागू होंगे।

अत: राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम नियम 64-क सपठित नियम 64 एवं 46-क के उप नियम (4) के उपबन्धों के अनुसरण में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4207 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. 125/2019) को अधिक्रमित करते हुए सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित किए जाने के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी करता है :-

1- रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना प्रारम्भ करने के लिए नियत समय की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त लिफॉफा-ख (प्ररूप 16-ग) को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जायेगी।

2- निर्धारित समयावधि में प्राप्त होने वाले लिफाफे को एक-एक करके खोला जायेगा और जैसे ही प्रत्येक लिफाफे को खोला जाए, रिटर्निंग अधिकारी प्रथमत: उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप 16-क में की गर्इ घोषणा की संवीक्षा करेगा।

3- यदि प्ररूप 16-क में की गर्इ घोषणा नहीं पायी जाती है या उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है, अर्थात् सारत: त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्यांक लिफाफा-क (प्ररूप 16-ख) पर पृष्ठांकित क्रम संख्यांक से भिन्न है तो लिफाफा-क (प्ररूप 16-ख) को खोला नहीं जायेगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिक्षेपित (नामंजूर) कर देगा।

4- बिन्दु संख्या-3 के अनुसार प्रतिक्षेपित (नामंजूर) किए गए ऐसे समस्त पृष्ठांकित लिफाफे-क (प्ररूप 16-ख) और उनके साथ प्राप्त प्ररूप 16-क में घोषणा को पुन: लिफाफा-ख (प्ररूप 16-ग) में रखा जाएगा और इस तरह समस्त लिफाफा-ख (प्ररूप 16-ग) को एक पृथक बडे पैकेट में रखा जाएगा,

जिस पर नगरपालिका नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित कर पैकेट को मुद्राबन्द किया जाएगा।

5- इसके पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्ररूप 16-क में की गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने सही पायी हैं, को पृथक पैकेट में रखेगा एवं मुद्राबंद किया जाएगा। इसके बाद ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिफाफा-क (प्ररूप 16-ख) को खोलना प्रारम्भ किया जायेगा और जिस पर उपरोक्त मद संख्या-4 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी।

6- प्ररूप 16-ख (लिफाफा-क) में उन लिफाफों को, जिनके मामले में उपरोक्त मद संख्या-5 के अन्तर्गत कार्यवाही की गर्इ है, को एक-एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।

7- उपरोक्त मद संख्या-6 के अन्तर्गत संवीक्षा में डाक मतपत्र को प्रतिपेक्षित (नामंजूर) कर दिया जाएगा-

(क) यदि उस पर कोर्इ चिà (मत को अभिलिखित करने के लिए चिà से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो; या

(ख) यदि उस पर कोर्इ मत अभिलिखित नहीं है; या **मतपत्र के पीछे वाले हिस्से पर मत अभिलिखित किया गया है; या**

(ग) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा किसी एक अभ्यर्थी तथा 'नोटा' (इनमें से कोर्इ नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं;

(घ) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या

(ड़) यदि वह ऐसे रूप में क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(च) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नही लौटाया गया है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।

(छ) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि वह बात सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर डाक मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रतिक्षेपित किए गए डाक मतपत्र के संबंध में प्रतिक्षेपित किए जाने का स्पष्ट कारण अंकित करेगा। डाक मतपत्र के वैध या प्रतिक्षेपित होने के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण I - ऐसे डाक मतपत्र जो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में स्पष्ट रूप से अभिलिखित हो उसे मात्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जायेगा कि उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिये मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, **बालपैन या स्याही से ''x'' (क्रॉस) अथवा ''✓'' (रार्इट टिक) का अंकन पर्याप्त होगा।**

स्पष्टीकरण II - डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोर्इ नहीं) के लिए है, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

8. **बिन्दु** 7 **के अधीन किसी डाक मतपत्र को नामंजूर करने से पूर्व** रिटर्निंग **अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को, जो उपस्थित हो, डाक मतपत्र का निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर देगा किन्तु उसे किसी डाक मतपत्र को छूने नहीं देगा।**

9 रिटर्निंग **अधिकारी ऐसे प्रत्येक डाक मतपत्र पर, जिसको वह नामंजूर/प्रतिक्षेपित करे, उस पर** नामंजूर/प्रतिक्षेपित किया गया **शब्द का अंकन करेगा और नामंजूर/प्रतिक्षेपित करने का** कारण **संक्षिप्त रूप में स्वयं के हाथ से या रबड़ की मुहर से पृष्ठांकित करेगा।**

10. रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोर्इ नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा। और इस प्रकार गणना करके उनके जोड़ को प्ररूप-21 परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उसे सुनाएगा।

11. तदुपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित (नामंजूर) मतपत्रों के पृथक-पृथक बंडल बनाए जाएंगे और सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित (नामंजूर) मतपत्रों को पृथक-पृथक पैकेट में रखा जाएगा, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं या गणन अभिकर्त्ताओं की, जो इस पर अपने हस्ताक्षर एवं मुद्राए अंकित करना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा। ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उनकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

भवदीय,

राजेश वर्मा,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।